बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

सं0 :– 03/भू0अ0नि0(5)विविध(मगध प्रमंडल)–25/2024 2322 पटना, दिनांक :– 10/07/2026

आदेश

बंदोबस्त पदाधिकारी, गया जी के पत्रांक 401 दिनांक 11.05.2026 द्वारा श्री सरोज कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN09920) के विरूद्ध श्री विश्वजीत कुमार सिंह एवं अन्य द्वारा 4500/– रूपये अवैध राशि लेने संबंधी प्राप्त आवेदन की जांच कराकर प्रतिवेदित किया गया है कि श्री कुमार द्वारा PayTM के माध्यम से राशि ली गयी है। साथ ही राशि लेने के बाद भी खाता नं0 20, खेसरा नं0 46, 47, 48 एवं 49 का किस्तवार नहीं किया गया है। यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि इस संदर्भ में पूछे गये स्पष्टीकरण का प्रतिउत्तर असंतोषप्रद है एवं राशि के लेन–देन में संलिप्ता से ध्यान भटकाने का प्रयास है। साथ ही साथ इनके द्वारा आरोपों से ध्यान भटकाने के लिए सुश्री निशा रावत, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो पर मनगढ़त एवं बेबुनियाद आरोप लगाकर फंसाने का प्रयास किया गया है। फलस्वरूप संविदा समाप्ति की अनुशंसा की गयी है।

बंदोबस्त पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में निदेशालय पत्रांक 1708 दिनांक 22.05.2026 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की मांग की गयी थी। श्री कुमार द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है। स्पष्टीकरण में उल्लेख किया गया है कि इनके द्वारा किसी भी व्यक्ति को पैसे भुगतान करने के लिए कोई भी मोबाईल नम्बर या क्यूआर कोड नहीं दिया गया है, जिससे धन उगाही का आरोप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित नहीं होता है एवं लगाए गए आरोपों को झुठा तथा बेबुनियाद बताते हुए स्पष्टीकरण पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का अनुरोध किया गया है।

श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण पर निदेशालय पत्रांक 1861 दिनांक 05.06.2026 द्वारा बंदोबस्त पदाधिकारी से स्पष्ट मंतव्य की मांग की गयी है। बंदोबस्त पदाधिकारी के पत्रांक 503 दिनांक 06.06.2026 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया है। बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा मंतव्य दिया गया है कि श्री कुमार का स्पष्टीकरण असंतोषप्रद है, क्योंकि शिविर प्रभारी, डोभी एवं डोभी शिविर के वरीय नोडल पदाधिकारी द्वारा अपने जांच प्रतिवेदन में श्री कुमार के धन उगाही/भ्रष्ट आचरण में लिप्त होने की पुष्टि की गयी है। साथ ही यह भी कि बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा अपने कार्यालय कक्ष में पूछ–ताछ करने पर श्री कुमार पर अपने परिचित व्यक्ति के खाता में ऑनलाईन माध्यम से अवैध राशि प्राप्त करने की पुष्टि हुई है। फलस्वरूप इनके भ्रष्ट आचरण के लिए संविदा समाप्त करने की पुनः अनुशंसा बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा की गयी है।

बंदोबस्त पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन/मंतव्य एवं अनुशंसा तथा श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण की विवेचना की गयी। विवेचनोपरांत पाता हूँ कि श्री कुमार द्वारा अपने उपर लगाए गए सभी आरोपों को झुठा, भ्रामक एवं बेबुनियाद बताया जा रहा है एवं राशि नहीं लेने संबंधी अपने खाता का स्टेटमेन्ट समर्पित किया गया है। बंदोबस्त पदाधिकारी का कथन है कि श्री कुमार द्वारा स्वयं राशि न लेकर अपने परिचित व्यक्ति के खाता में राशि ली गयी है, जिसकी पुष्टि जांच में हुई है। चूंकि विशेष सर्वेक्षण कर्मियों के नियंत्री पदाधिकारी बंदोबस्त पदाधिकारी हैं एवं इनके कार्यो की समीक्षा, अनुश्रवण एवं प्रतिवेदित आरोपों की जांच भी बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा की जाती है, इस परिपेक्ष्य में इनपर प्रतिवेदित आरोपों की जांच भी बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा की गयी है एवं आरोप को सत्य पाते हुए संविदा समाप्ति की अनुशंसा की गयी है।

पृ० प० उ०

चूंकि विशेष सर्वेक्षण कार्य आमजनों के सहयोग से किया जाना वाला कार्य है, जिसमें आमजों की भुमिका महत्वपूर्ण है। श्री कुमार द्वारा किये गये कृत्य से आमजनों में सर्वेक्षण कार्य एवं विभाग के प्रति अविश्वास की भावना उत्पन्न होगी, जिसका प्रतिकूल प्रभाव सर्वेक्षण कार्य एवं अन्य कर्मियों पर भी पड़ सकता है, इसके दृष्टिगत बंदोबस्त पदाधिकारी के अनुशंसा के आलोक में इनका संविदा समाप्त किया जाना ही उचित होगा।

अतः बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित (संविदा) नियोजन नियमावली, 2019 एवं संशोधन नियमावली, 2022 के नियम – 8(4) के तहत श्री सरोज कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN09920), बंदोबस्त कार्यालय, गया का संविदा नियोजन समाप्त किया जाता है।

Suharsh 09/07/26

(सुहर्ष भगत)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03 / भू0अ0नि0(5)विविध(मगध प्रमंडल)–25 / 2024 2322 **पटना, दिनांक** :– 10/07/2026

प्रतिलिपि :– श्री सरोज कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN09920), बंदोबस्त कार्यालय, गया जी को सूचनार्थ प्रेषित।

Suharsh 09/07/26

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03 / भू0अ0नि0(5)विविध(मगध प्रमंडल)–25 / 2024 2322 **पटना, दिनांक** :– 10/07/2026

प्रतिलिपि :– बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, गया जी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Suharsh 09/07/26

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03 / भू0अ0नि0(5)विविध(मगध प्रमंडल)–25 / 2024 2322 **पटना, दिनांक** :– 10/07/2026

प्रतिलिपि :– संबंधित प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को सूचनार्थ एवं निदेशालय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Suharsh 09/07/26

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप